

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या— उ०सं०नि०—26 / 2003— विभागीय अधिसूचना संख्या—647 दिनांक—
17.02.2004, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 8(ए) एवं 8 (बी) में उल्लिखित प्रावधानों के
आलोक में लिया गया है, के क्रम में कैमूर(भभुआ) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का
गठन किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. जिला समाहर्ता | — | अध्यक्ष |
| 2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी | — | सदस्य सचिव |
| (क) जिला में संसद / विधान मंडलीय प्रतिनिधि | | |
| 3. जिला के निर्वाचित लोक सभा / राज्य सभा के सदस्य | — | सदस्य |
| 4. जिला से निर्वाचित विधान सभा / विधान परिषद् के सदस्य | — | सदस्य |
| (ख) विभागीय पदाधिकारी / स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि | | |
| 5. उप विकास आयुक्त | — | सदस्य |
| 6. जिला शल्य चिकित्सक | — | सदस्य |
| 7. जिला कल्याण पदाधिकारी | — | सदस्य |
| 8. जिला शिक्षा पदाधिकारी | — | सदस्य |
| 9. जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम | — | सदस्य |
| 10. अध्यक्ष, जिला परिषद् | — | सदस्य |
| 11. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी दूरदर्शन | — | सदस्य |
| (ग) महिला प्रतिनिधि | | |
| 12. श्रीमती रूखसार बानो अंसारी, पति—न्याज अंसारी, ग्राम—डड़वा, पो०— मोहनियाँ, जिला— कैमूर। | — | सदस्य |
| 13. श्रीमती संध्या देवी, पिता—रामचन्द्र तिवारी, ग्राम—भलुहा, पो०— सबार, रामपुर, जिला— कैमूर। | — | सदस्य |
| (घ) स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि | | |
| 14. श्री जैनुल आवेदीन, पिता— स्व० गुलाम मुस्तफा, वार्ड नं०—08, भभुआ, जिला— कैमूर। | — | सदस्य |
| 15. श्री रामाधीन प्रसाद, पति—स्व० नरदेश्वर प्रसाद, वार्ड नं०—03, संतपुर, भभुआ, जिला— कैमूर। | — | सदस्य |
| 16. श्री मदन सिंह पिता— हरगेन सिंह, | — | सदस्य |

- ग्राम— केशरी, पो०— छोटका अमांव,
थाना—चाँद, जिला— कैमूर।
17. श्री शैलेन्द्र कुमार भारद्वाज, — सदस्य
पिता—श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र,
वार्ड नं.—13, भभुआ,
जिला— कैमूर।
- (ड.) किसान/व्यापारी/उद्योग के प्रतिनिधि
18. श्री तेज बहादुर सिंह, — सदस्य
पिता— स्व० रामसकल सिंह,
वार्ड नं०—10,
जिला— कैमूर।
19. श्री सुदर्शन प्रसाद, — सदस्य
पिता—स्व० डोमा भगत,
ग्राम— गोबरछ, पो०—पहड़िया,
भगवानपुर, जिला— कैमूर।
20. श्री रकीब अहमद अंसारी, — सदस्य
पिता— मो० इसराज अंसारी,
ग्राम—डडवा, मोहनियाँ,
जिला— कैमूर।
21. श्री जय प्रकाश सिंह, — सदस्य
पिता— स्व० सुदर्शन सिंह,
ग्राम— कृपालपुर, पं०— कल्याणपुर,
दुर्गावती, जिला— कैमूर।
- (च) उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधित्व करने योग्य अन्य व्यक्ति
22. श्री सत्यनारायण पाण्डेय — सदस्य
पिता—स्व० राजदेव पाण्डेय,
ग्राम— उरगाई, भभुआ,
जिला— कैमूर।
23. श्री बच्चन चतुर्वेदी, — सदस्य
पिता—राजहंस चतुर्वेदी,
ग्राम+पो०—मोहनियाँ,
जिला— कैमूर।
24. श्री राम प्रवेश प्रसाद, — सदस्य
पिता— स्व० शिवपूजन प्रसाद,
वार्ड नं०—18, भभुआ,
जिला— कैमूर।
25. श्री मुन्नन तिवारी, — सदस्य
पिता— स्व० अर्जुन तिवारी,
ग्राम—कुड़डी, थाना— चाँद,
जिला— कैमूर।

(2) शर्त :-

1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 3 वर्षों का होगा।

2. जो माननीय सांसद/विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य हैं, के सांसद/विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।
 3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य इस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
 4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुर्नगठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
 5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
 6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संशोधित-2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
 7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।
 8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य वैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-1 के पदाधिकारी का अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष- 3456 नागरिक पूर्ति योजना से होगा।
- (3) आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधरा अंक में प्रकाशित कराया जाए तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रकाश कुमार) 3/9/15

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक :- उ0सं0नि0-26/2003 7069 दिनांक :- 03/09/15
 प्रतिलिपि :- सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबन्धित जिलाधिकारी/संबन्धित उप विकास आयुक्त/संबन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/अध्यक्ष, जिला परिषद्/ माननीय विभागीय मंत्री कोषांग/ निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. समाहर्ता, कैमूर(भभुआ) से अनुरोध है कि अपने जिला के नामित सदस्यों को इसकी सूचना देने का कष्ट करें।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक :- उ0सं0नि0-26/2003 7069 दिनांक :- 03/09/15
 प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक :- उ०सं०नि०-26/2003

1069 दिनांक :- 03/09/15

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी०डी० संलग्न)

अनुरोध है कि अधिसूचना की 100(एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

संयुक्त सचिव  मिनिस्टर ।